आज़ादी का अमृत महोत्सव

<u>अति आवश्यक</u>

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धनए सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकःएफ.1(2)(6)आ.प्र. एवं सहा./पा.शीतलहर/2024/12398204 जयपुर,दिनांकः12.12.2024

1. अति. मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, राज., जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज., जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज., जयपुर।
7. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज., जयपुर।
8. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राज., जयपुर।
9. शासन सचिव, पर्यटन विभाग, कला साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, राज., जयपुर।
10. शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर।
11. शासन सचिव, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (ईएसआई) विभाग, राज., जयपुर।
12. शासन सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज., जयपुर।
13. शासन सचिव, परिवहन विभाग, राज., जयपुर।
14. शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राज., जयपुर।
15. शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राज., जयपुर।
16. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पंचायती राज (महिला एवं बाल विकास) विभाग, जयपुर।
17. महानिदेशक, राजस्थांन पुलिस, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
18. महानिदेशक, होमगार्डस, जयपुर।
19. समस्त सम्भागीय आयुक्त/समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
20. निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
21. निदेशक, मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर।
22. उप निदेशक, नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
23. कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2024.12.12 18:20:24 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता – खाद्य भवन, भू–तल, कमरा नं. 7007, शासन सचिवालय, जयपुर–302005, दूरभाष नं. 0141–2227084 फैक्स नं. 0141–2227230 ई–मेल आई.डी. relief-rj@nic.in

RajKaj Ref No.: 12398204

विषयः जन समुदाय को शीतलहर (शीतघात) के प्रकोप से बचाव हेतु एडवायजरी।

महोदयए

आगामी शीतकालीन मौसम में प्रदेश सहित देश के अधिकांश भागों में सामान्य से न्यूनतम तापमान की संभावना है। अतः समस्त जिला कलक्टर्स तथा सम्बंधित समस्त विभागों द्वारा प्रदेश में संभावित शीत लहर (शीतघात) के प्रकोप को गंभीरता से लेते हुए इससे होने वाली क्षति को कम करने हेतु विभागीय एवं जिला स्तर पर सभी आवश्यक कदम उठाए जायें।

इस संदर्भ में निम्नांकित सुझाव दिये जाते हैं, निम्न 03 सुझाव सभी विभागों के समान होने के कारण सभी विभागों को इन सुझाओं पर आवश्यक कार्यवाही की जानी है एवं बाकी अपने-अपने विभाग के आगे अंकित सुझाओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी है :-

i. शीत लहर से बचाव हेतु विभागस्तर पर नोडल अधिकारी (नाम, पदनाम, मोबाइल नं. सहित) नामांकित कर इस विभाग को सूचित किया जावे।

ii. विभागीय/जिला स्तर पर निर्मित प्रचार-प्रसार सामग्रियों का उपयोग कर इस विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।

iii. अपने-अपने विभाग से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी के पालनार्थ किए गए कार्यों से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>समस्त जिला कलक्टर्स</u>

i. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संशोधित दिशा-निर्देशों अनुसार स्थानीय जिला शीत लहर (शीतघात) कार्य योजना तैयार की जावे तथा विभाग को इससे अवगत कराया जावे।

ii. प्रत्येक स्तर (जिला, तहसील, ब्लॉक, विभाग आदि) पर शीत लहर प्रबंधन हेतु नोडल अधिकारी (नाम, पदनाम, मोबाइल नं. सहित) को नामांकित किया जाकर विभाग को इससे अवगत कराया जावे।

iii. भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा जारी शीत लहर चेतावनी को जिला कमांड और नियंत्रण केंद्र (District Command, Control and Coordination Centre) के माध्यम से जन सामान्य तथा संबन्धित विभागों तक पहुंचाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जावे ।

iv. स्थानीय स्तर पर "शीत लहर से बचाव" से संबन्धित जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये।

v. शीत लहर सम्बंधित बीमारियों एवं खतरों से जन सामान्य के बचाव हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में नियमित प्रेस कॉफ्रेंस का आयोजन किया जावे।

Signature valid
Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2024.12.12 18:20:24 IST
Reason: Approved

(ST-08)

कार्यालय का पता – खाद्य भवन, भू-तल, कमरा नं. 7007, शासन सचिवालय, जयपुर-302005, दूरभाष नं. 0141-2227084 फैक्स नं. 0141-2227230 ई-मेल आई.डी. relief-rj@nic.in

RajKaj Ref No.: 12398204

vi. शीत लहर से बचाव हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों से संबन्धित सुझाव का प्रचार प्रसार होर्डिंग तथा प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, स्थानीय केबल टीवी नेटवर्क, एफएम, सामुदायिक रेडियो से किए जाने की व्यवस्था की जावे।

मौसम विज्ञान केंद्र

i. भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा जारी की जाने वाली शीत लहर चेतावनी, शीत लहर की अवधि, न्यूनतम तापमान स्थानवार मौसम रिपोर्ट आदि को संबन्धित विभागों तथा जिलों तक भेजने की व्यवस्था की जावे।

नगरीय विकास विभाग

i. चिकित्सा सुविधाओं, बिजली, भोजन, जल आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं के साथ आश्रय/रैन बसेरा का संचालन सुनिश्चित की जावे।

ii. विभागीय स्तर पर संचालित रैन बसेरा की सूची से विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

iii. बेघर/प्रभावित लोगों को आश्रय गृहों में स्थानांतरित की जावे।

iv. इन चिन्हित स्थलों पर शीत लहर से बचाव के प्राथमिक उपचार हेतु फ़र्स्ट ऐड बॉक्स रख कर आपात स्थिति में इसके उपयोग से संबन्धित आवश्यक निर्देश लिखे जाएँ। स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों से विचार विमर्श कर आवश्यकतानुसार इन स्थलों पर वॉलेंटियर की तैनाती भी की जा सकती है, जो आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार करने में सक्षम हो।

v. इन चिन्हित स्थलों पर "शीत लहर से बचाव" से संबन्धित जन सामान्य हेतु आवश्यक निर्देश/सुझाव के बैनर लगाए जाएँ।

vi. बेसहारा एवं बेघर व्यक्ति सड़क मैदान में पाए जाने पर अलाव की व्यवस्था की जावे। स्वयंसेवी संगठनों के मध्याम से कम्बलों की व्यवस्था कर उन्हें प्रदाय किए जावें।

स्कूल शिक्षा विभाग

i. स्कूल तथा शैक्षणिक संस्थाओं का कार्य समय, भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा शीत लहर से संबन्धित दी गई चेतावनी अनुसार आवश्यकतानुसार एवं विधिवत स्कूल खुलने के समय में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक आदेश जारी किए जावें।

ii. शैक्षणिक संस्थाओं के क्लास रूम को गरम रखने की यथोचित व्यवस्था की जावे।

iii. शीत लहर से प्रभावित होने पर प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक उपचार बॉक्स की पर्याप्त संख्या तथा विद्यालय में इसकी उचित स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।

Signature valid
Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2024.12.12 18:20:24 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता – खाद्य भवन, भू–तल, कमरा नं. 7007, शासन सचिवालय, जयपुर–302005, दूरभाष नं. 0141–2227084 फैक्स नं. 0141–2227230 ई–मेल आई.डी. relief-rj@nic.in

RajKaj Ref No.: 12398204

iv. अस्पतालों/आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाले संस्थाओं/विभागों का संपर्क-नं. का विवरण विद्यालय में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

v. गंभीर रूप से शीत लहर से प्रभावित होने वाले विद्यार्थियों को अस्पताल पहुंचाने हेतु वाहन तथा विद्यालय के ज़िम्मेदार शिक्षक का नामांकन/चिन्हांकन किया जावे।

vi. शैक्षणिक संस्थाओं में आवश्यकतानुसार "शीत लहर से बचाव" से संबन्धित विद्यार्थियों हेतु आवश्यक निर्देश/सुझाव बैनर लगाए जावें।

vii. शीत लहर (शीतघात) प्रबंधन के सम्बन्ध में शिक्षकगण विद्यार्थियों को कक्षाओं में अवगत करावें।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

i. ज़िले में स्थित सभी शासकीय अस्पतालों में शीत लहर प्रभावितों के उपचार हेतु विशिष्ट कार्य योजना बनाई जावे।

ii. सभी स्वास्थ्य पेशेवरों, कर्मचारियों को प्रारंभिक चेतावनी संबंधी जानकारी प्रसारित की जावे।

iii. शीत लहर से बचाव हेतु जनसामान्य द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय से संबन्धित सुझाव, ज़िले के सभी अस्पतालों के बाहर प्रदर्शित किये जावें।

iv. शीत लहर ग्रसित रोगियों की चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाइयाँ, भंडार आदि की उपलब्धता सभी शासकीय चिकित्सालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डिपो होल्डर आशा कार्यकर्ता के पास सुनिश्चित की जावे। विशेषकर शीत लहर से उपचार हेतु दवाइयाँ का पर्याप्त भंडारण रखने के निर्देश दिए जावें।

v. शीत लहर ग्रसित रोगियों के चिकित्सा हेतु चिकित्सालयों में आवश्यकतानुसार अलग चिकित्सा वार्ड की व्यवस्था की जावे।

vi. कमजोर समूह-बच्चों, दिव्यांगों, महिलाओं और वृद्धों की विशेष देखभाल हेतु व्यवस्था की जावे।

vii. शीत लहर (शीतघात) से सम्बंधित मामलों और मौतों की दैनिक रिपोर्ट तैयार की जावे।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग

i. विभागीय स्तर पर संचालित रैन बसेरा की सूची से विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

ii. पंचायत भवनों में शीत लहर से बचाव के उपायों से संबन्धित प्रचार प्रसार किया जावे। शीत लहर से प्रभावित होने पर प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक उपचार बॉक्स की पर्याप्त संख्या तथा पंचायत भवन में इसकी उचित स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावे ।

iii. श्रमिकों को शीत लहर से बचाव सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जावे।

Signature valid
Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2024.12.12 18:20:24 IST.
Reason: Approved

कार्यालय का पता – खाद्य भवन, भू–तल, कमरा नं. 7007, शासन सचिवालय, जयपुर–302005, दूरभाष नं. 0141–2227084 फैक्स नं. 0141–2227230 ई–मेल आई.डी. relief-rj@nic.in

श्रम विभाग

i. औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रो के कामगारों को शीत लहर से बचाव सम्बन्धी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जावे।

ii. उद्योगों एवं अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों का कार्य समय आवश्यकतानुसार एवं सुविधानुसार परिवर्तन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जावे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

i. ऐसे स्थलों को चिन्हित किया जाये जहाँ बेघर लोग अधिक हो तथा उन जगहों पर आश्रय/रैन बसेरा की व्यवस्था की जावे। ऐसे लोगों के शीत लहर (शीतघात) से प्रभावित होने की स्थिति में इन्हें तत्काल चिकित्सालय पहुँचाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जावे।

पर्यटन विभाग

i. प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में IMD द्वारा जारी शीत लहर (शीतघात) चेतावनी को प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जावे।

परिवहन विभाग

i. बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड आदि सार्वजनिक वाहन स्थलों पर आवश्यकतानुसार फर्स्ट-ऐड बॉक्स की व्यवस्था, शीत लहर (शीतघात) प्रभावितों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

ii. जिला प्रशासन से विचार विमर्श उपरांत न्यूनतम तापमान/शीत लहर (शीतघात)/घने कोहरे की स्थिति के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के समय को परिवर्तित करने हेतु विचार किया जावे।

पशु-पालन विभाग

i. शीत लहरों के दौरान जानवरों और पशुधन को शीत लहर से बचाव हेतु विभाग की कार्ययोजना बनाकर इस विभाग को भी अवगत करायें। साथ ही पशुचिकित्सालयों में आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

राजस्थान पुलिस

i. घने कोहरे की स्थिति के दौरान यातायात प्रबंधन सुनिश्चित किया जावे।

ii.. घने कोहरे के दौरान अग्रिम सुरक्षा उपाय लागू किए जावें।

iii. आश्रय स्थल/रैन बसेरा में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2024.12.12 18:20:24 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता – खाद्य भवन, भू-तल, कमरा नं. 7007, शासन सचिवालय, जयपुर-302005, दूरभाष नं. 0141-2227084 फैक्स नं. 0141-2227230 ई-मेल आई.डी. relief-rj@nic.in

आपदा प्रबंधन संस्थान (ओटीएस)

i. वार्षिक ट्रेनिंग कैलेण्डर में शीत लहर (शीतघात) के प्रबंधन से सम्बंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे जाएँ ।

ii. शीत लहर से बचाव हेतु जनजागृति कार्यक्रमों के आयोजन में सम्बंधित विभागों को सहयोग प्रदान किया जावे।

होमगार्डस एवं सिविल डिफेंस

i. विभाग द्वारा आयोजित जनजागृति एवं प्रशिक्षण कार्यकर्मों में शीत लहर (शीतघात) के दौरान आवश्यक सावधानी एवं बचाव से सम्बंधित जानकारी दी जाए।

कृषि विभाग

i. शीत लहर और ठंड, कोशिकाओं को भौतिक नुकसान पहुचाती हैं जिससे कीट का आक्रमण तथा रोग होने से फसल बर्बाद हो सकती है। फसल के अंकुरण तथा प्रजनन के दौरान शीत लहर से काफी भौतिक विघटन होता है इसके बढ़ने से फसलों के अंकुरण, वृद्धि, पुष्पण तथा पैदावार पर असर पड़ता है। शीत लहर से बचाव हेतु कार्ययोजना बनाकर विभाग को भी अवगत करायें।

करने योग्य उपाय

i. बोर्डिऑक्स मिश्रण या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर शीत घात के कारण रोग संक्रमण से बचाव करें। शीत लहर के बाद फास्फोरस (P) और पोटेशियम (K) उर्वरकों का उपयोग जड़ वृद्धि को सक्रिय करेगा और फसल को ठंड की घात से तेजी से उबरने में मदद करेगा।

ii. शीत लहर के दौरान प्रकाश और लगातार सतह सिंचाई प्रदान करें। पानी की सिंचाई से उत्पन्न विशिष्ट गर्मी पौधों को शीत घ -घात से बचाता है।

iii. स्प्रिंकलर सिंचाई से पौधों मे शीत घात को कम करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि पानी की बूंदों का संघनन, आसपास में गर्मी छोड़ता है।

iv. पौधो के मुख्य तने के पास मिट्टी को काली या चमकीली प्लास्टिक शीट के साथ ढकें। यह विकिरण अवशोषित कर मिट्टी को ठंडी मे भी गर्म बनाए रखता है। प्लास्टिक उपलब्ध न होने की दशा मे घास-फूस, सरकंडे की घास या जैविक वस्तुओं से मिट्टी को ढँककर फसलों को शीत-घात से बचाया जा सकता है।

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2024.12.12 18:20:24 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता – खाद्य भवन, भू-तल, कमरा नं. 7007, शासन सचिवालय, जयपुर–302005, दूरभाष नं. 0141–2227084 फैक्स नं. 0141–2227230 ई–मेल आई.डी. relief-rj@nic.in

RajKaj Ref No.: 12393204

v. बगीचे मे धुआँ करके भी फसलों को शीत-घात से बचाया जा सकता है।
vi. विभागीय जनजागृति एवं प्रशिक्षण कार्यकर्मों में कृषकों को शीत लहर (शीतघात) से बचाव सम्बंधित जानकारी दी जाए।

जनसंपर्क विभाग

i. प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, रेडियों:- FM, कचरा संग्रहण वाहन आदि के माध्यम से जागरूकता पैदा की जावे।

ऊर्जा विभाग

i. बिजली संयंत्रों में सभी रख रखाव गतिविधियों को समयानुसार पूरा करना ताकि शीत लहर (शीतघात) के दौरान पॉवर कट की स्थिति निर्मित नहीं हो।

राजस्थान प्रदेश, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, जयपुर द्वारा जनसमान्य के शीत लहर (शीतघात) से बचाव हेतु एक जन-जागृति प्रचार सामग्री तैयार कर https://dmrelief.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है ।

कृपया इस प्रचार सामग्री को ज़िले की सभी नगरपालिकाओं, नगर परिषद/नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, विद्यालयों तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित कर राज्य में जनसामान्य के शीत लहर (शीतघात) से बचाव हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुये, की गई कार्यवाही की जानकारी से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(भगवत सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य सचिव एवं विभाग प्रमुख, राट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार, एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एनक्लैव, नई दिल्ली-110029

शासन संयुक्त सचिव

Signature valid
Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2024.12.12 18:20:24 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता – खाद्य भवन, भू-तल, कमरा नं. 7007, शासन सचिवालय, जयपुर-302005, दूरभाष नं. 0141-2227084 फैक्स नं. 0141-2227230 ई-मेल आई.डी. relief-rj@nic.in

RajKaj Ref No.: 12398204

शीतलहर से सुरक्षा के उपाय

शीतलहर से पहले

- सर्दियों के कपड़े पर्याप्त मात्रा में रखें। कपड़ों की कई परतें पहनना भी लाभदायक रहता है।
- आपातकालीन आपूर्तियों के लिए सभी सामान तैयार रखें।
- शीतदंश के लक्षणों जैसे उंगलियों, पैर की उंगलियों, कानों की लोब और नाक की नोक पर सुन्नता, सफेदी या पीलेपन के प्रति सजग रहें।
- शीतदंश से प्रभावित हिस्से की मालिश न करें। इससे अधिक नुकसान हो सकता है।
- शीतदंश से प्रभावित शरीर के हिस्सों को गुनगुने पानी में डालें ।
- कंपकंपी को नजरअंदाज न करें यह एक महत्वपूर्ण अग्रिम संकेत है कि शरीर गर्मी खो रहा है। कंपकंपी महसूस होने पर तुरंत घर लौटें।

शीतलहर के दौरान

- जितना संभव हो, घर के अंदर रहें। ठंडी हवा से बचने के लिए कम से कम यात्रा करें।
- अपने शरीर को सुखाकर रखें। यदि कपड़े गीले हो जाएँ तो उन्हें तुरंत बदलें। इससे शरीर की उष्मा बनी रहेगी।
- मौसम की ताजा जानकारी के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें, समाचार पत्र पढ़ें।
- नियमित रूप से गर्म पेय पिएं।
- बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखें।

हाइपोथर्मिया के मामले में

- व्यक्ति को गर्म स्थान पर ले जाएं और कपड़े बदल दें।
- व्यक्ति के शरीर को सूखे कंबलों, कपड़ों, तौलियों या चादरों से गर्मी दें ।
- शरीर के तापमान को बढ़ाने में मदद करने के लिए गर्म पेय पिलाएं, लेकिन मादक पेय न दें।
- जितनी जल्दी हो सके, व्यक्ति को उचित चिकित्सा उपलब्ध कराएं।

राजस्थान आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग जयपुर द्वारा जनहित में जारी

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2024.12.12 18:20:24 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता – खाद्य भवन, भू–तल, कमरा नं. 7007, शासन सचिवालय, जयपुर–302005, दूरभाष नं. 0141–2227084 फैक्स नं. 0141–2227230 ई–मेल आई.डी. relief-rj@nic.in